

# कार्यालय कलेक्टर(जनगणना शाखा) जिला गरियाबंद(छ0ग0)

//निविदा-प्रपत्र//

क्रमांक/3830

दिनांक 16/06/2016


भारत की जनगणना 2011 में प्रगणकों द्वारा प्रत्येक परिवार के बारे में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर प्रारूप में जानकारी संकलित किया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की जानकारी में वर्ष 2015 में आवश्यक सुधार/संशोधन किया गया है और तदसमय छूटे हुए कुछ परिवारों के बारे में नए सिरे से जानकारी संकलित की गई है। उक्त जानकारी की हार्ड कापी उपलब्ध है जिसे ऑन लाईन सॉफ्टवेयर में डाटा सुधार/संशोधन/एण्ट्री किया जाना है।

एतद् द्वारा उक्त कार्य करने के लिए दर निर्धारण हेतु कार्य करने के इच्छुक फर्मों से दिनांक 16 जून 2016 से 16 जुलाई 2016 को पूर्वाह्न 03.00 बजे तक बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं-

1. निविदा प्रपत्र दिनांक 16.06.2016 से 16.07.2016 तक पूर्वाह्न 03.00 बजे तक निविदा प्रपत्र मूल्य 200 रु. नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
2. डाटा एण्ट्री ऑपरेटर की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10+2 एवं हिन्दी व अंग्रेजी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
3. निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व यदि निविदाकार कार्य का स्वरूप आदि को जानना चाहते हो, तो कलेक्टर कार्यालय के जनगणना शाखा में कार्यालयीन समय पर संपर्क किया जा सकता है।
4. कलेक्टर कार्यालय द्वारा सील लगा हुआ जारी निविदा प्रपत्र ही मान्य किया जावेगा। यदि किसी फर्म/वेण्डर द्वारा जिले के वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र भरा जाता है तो उक्त प्रपत्र को जमा करने से पूर्व निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यालय का सील लगवाना अनिवार्य होगा।
5. निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन पाये जाने अथवा निविदाकार द्वारा अंकित किये गये दर में काट छांट पाये जाने पर निविदा अमान्य किया जावेगा।
6. निविदाकार की ओर से कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
7. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी भाग में कोई भी कमी पाये जाने पर निविदाकार द्वारा प्रस्तुत व्यवसायिक भाग नहीं खोला जावेगा।
8. ऑन लाईन सॉफ्टवेयर में डाटा सुधार/संशोधन/एण्ट्री का कार्य जिला-गरियाबंद के सभी पांच तहसील मुख्यालयों में अथवा कलेक्टर द्वारा निर्देशित स्थान पर संपादित कराना होगा।
9. अपेक्षित कार्यों में गांव/नगर से बाहर प्रवास कर चुके व्यक्ति/परिवार से संबंधित डाटा ऑन लाईन सॉफ्टवेयर से डिलिट किया जाना है और नये पाये गये परिवारों का विवरण एण्ट्री किया जाना है। इसी तरह किसी परिवार के लिए पूर्व में दर्ज जानकारी में कोई त्रुटि पायी गई हो, तो संबंधित कालम में सुधार कार्य किया जावेगा।
10. कंडिका 08 में उल्लेखित अलग-अलग कार्यों के लिए अलग - अलग फर्मों द्वारा प्रस्तुत दर न्यूनतम पाये जाने पर उक्त सभी कार्यों की प्रति इकाई (परिवार) लागत के कुल मूल्य के आधार पर क्रय समिति द्वारा न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु निर्णय ले सकेगा।
11. वेण्डर द्वारा दो पृथक-पृथक लिफाफों में दोनों भागों को भरकर सीलबंद कर अपना नाम पता का उल्लेख करते हुए कलेक्टर एवं जिला रजिस्ट्रार, जिला गरियाबंद का पता अंकित कर जमा किया जावेगा। प्रथम भाग के लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में तकनीकी भाग तथा दूसरे भाग के लिफाफे के ऊपर व्यवसायिक भाग लिखा हुआ होना चाहिए।



12. निविदा प्रपत्र दो भागों में हैं प्रथम भाग तकनीकी भाग तथा दूसरा भाग व्यवसायिक भाग हैं।
13. तकनीकी भाग के साथ फर्म का वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन/टीन नंबर/पैन नंबर का प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो तो) तथा अमानत राशि का बैंक राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया जावे।
14. निविदा के दोनो भाग तथा संलग्न किए गए प्रत्येक दस्तावेज पर निविदाकार का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
15. निविदा के साथ कुल 45000.00 रु. का अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट जो कलेक्टर गरियाबंद के नाम गरियाबंद बैंक शाखा में देय हो, जमा करना अनिवार्य होगा।
16. फर्मों से प्राप्त निविदा प्रपत्र 16.07.2016 को अपरान्ह 4:00 बजे कलेक्टर कार्यालय गरियाबंद में खोला जायेगा। इस अवसर पर संबंधित निविदाकार अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।
17. प्रतिनिधि द्वारा निविदा भरने अथवा निविदा खोलते समय उपस्थित रहने के लिए विधि अनुसार अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
18. निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर के आधार पर कोई फर्म अपने दर की स्वीकृति के लिए दावा नहीं कर सकता। दर चयन हेतु कय समिति का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।
19. निविदा में प्राप्त दर पर कय समिति की सहमति न होने की दशा में निगोशिएशन किया जा सकेगा।
20. निविदा स्वीकार होने की स्थिति में संबंधित फर्म को कार्यादेश जारी होने के दिनांक से 90 दिवस के भीतर कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
21. डाटा एण्ट्री के लिए भरे हुए प्रपत्र की हार्ड कापी किसी भी स्थिति में कार्यालय परिसर अथवा निर्देशित कार्य स्थल से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
22. डाटा एण्ट्री के लिए आवश्यक संख्या में कम्प्यूटर, डाटा एण्ट्री आपरेटर एवं अन्य आवश्यक उपकरण/सामग्री की व्यवस्था वेण्डर द्वारा स्वयं किया जावेगा।
23. डाटा एण्ट्री का कार्य विभागीय अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में सम्पन्न किया जाएगा।
24. कार्य पूर्णता उपरांत किये गये कार्य के गुणवत्ता का परीक्षण किया जावेगा। यदि कार्य गुणवत्ता में कमी पायी जाती है अथवा समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो भुगतान नहीं किया जायेगा और अमानतराशि जप्त करने, फर्म को काली सूची में दर्ज करने जैसे कार्यवाही की जा सकेगी।
25. कलेक्टर, जिला गरियाबंद अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा कार्य की आवश्यकता अनुसार उक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें भी लागू किया जा सकेगा जिसे मानने के लिए वेण्डर बाध्य होगा।
26. निविदा के संबंध में किसी प्रकार विवाद की स्थिती में कलेक्टर, गरियाबंद का निर्णय अंतिम होगा।

  
 कलेक्टर एवं जिला नागरिक पंजीयन  
 रजिस्ट्रार, गरियाबंद



# कार्यालय कलेक्टर(जनगणना शाखा) जिला गरियाबंद(छ0ग0)

//निविदा-प्रपत्र//

भाग दो - व्यवसायिक भाग  
प्रति,

कलेक्टर एवं जिला नागरिक पंजीयन रजिस्ट्रार,  
जिला-गरियाबंद(छ0ग0)

महोदय,

मैं ..... आत्मज ..... नीचे दर्शाए

गये फर्म का संचालक/प्रतिनिधि हूँ। मेरे द्वारा निविदा क्रमांक ..... दिनांक ..... भरने के लिए निर्धारित शर्तों एवं निविदा प्रक्रिया का भली प्रकार अध्ययन कर लिया गया है जो कि मुझे स्वीकार्य हैं। कलेक्टर अथवा उनके ओर से किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा में दिए गए शर्तों के अलावा अन्य कोई भी शर्त किसी भी समय मुझ पर आरोपित कर सकेंगे जो मुझे मान्य होगा। मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी में कोई भी असत्य पाये जाने अथवा मेरे द्वारा निर्देश पालन में उदासीनता बरती जाने की दशा में मेरे द्वारा जमा किये गए अमानत राशि जप्त करने के अलावा मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। मैं अपने फर्म की ओर से निम्नानुसार दर प्रस्तुत करता हूँ-

1. फर्म का नाम एवं पुरा पता .....  
.....  
.....
2. संचालक का नाम एवं पुरा पता .....  
.....  
.....
- मोबाईल नम्बर .....  
ईमेल-आईडी .....

| क्र. | कार्य का विवरण   | अनुमानित संख्या (परिवार) | प्रति परिवार दर रूपये | कुल अनुमानित लागत रूपये |
|------|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1    | पूर्व में दर्ज परिवार पलायन हो जाने की दशा में डाटा डीलिट करना                   |                          |                       |                         |
| 2    | पूर्व में दर्ज परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में डाटा डीलिट करना |                          |                       |                         |
| 3    | किसी परिवार के सदस्य/सदस्यों की जानकारी सुधार/संसोधन कार्य                       |                          |                       |                         |
| 4    | दर्ज किये गए नये परिवार की जानकारी एन्ट्री करना                                  |                          |                       |                         |

स्थान .....


दिनांक .....

निविदाकार का हस्ताक्षर

पृ.क्रमांक/3330/कले/जनगणना/2015  
प्रतिलिपि:-

गरियाबंद, दिनांक 16.06.2016

1. तहसीलदार एवं जनगणना चार्ज अधिकारी, गरियाबंद/राजिम/देवभोग/छुरा/मैनपुर को सूचना पटल में चस्पा करने हेतु।
2. मुख्य नगर पालिका/पंचायत एवं जनगणना चार्ज अधिकारी, गरियाबंद/राजिम/छुरा/फिंगेश्वर को सूचना पटल में चस्पा करने हेतु।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., जिला केन्द्र, गरियाबंद को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

  
कलेक्टर एवं जिला नागरिक पंजीयन  
रजिस्ट्रार, गरियाबंद